संख्या- 10 /2018/630/83-18-34सीडी/14

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग **लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर, 2018**

विषय: नागरिक सुरक्षा संगठन के अवैतनिक कार्मिकों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2981/अनु-1/125/2013 दिनांक 05-12-2017 को कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विभिन्न सेवाओं के अवैतनिक कार्मिकों को निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :

क्र०सं०	**स्वयं सेवकों का पदनाम**	**शासनादेश संख्या-जी-2-175/दस-2011-601/2011 दिनांक 31-03-2011 के अन्तर्गत यात्रा भत्ता की अनुमन्यता हेतु वर्गीकृत श्रेणी।**
1	2	3
1	**<u>वार्डेन सेवा</u>** 1. चीफ वार्डेन 2. डिप्टी चीफ वार्डेन **<u>हताहत सेवा</u>** 1. ओ०सी० हताहत सेवा **<u>बचाव सेवा</u>** 1. ओ०सी० बचाव सेवा **<u>कम्यूनिकेशन सेवा</u>** 1. ओ०सी० कम्यूनिकेशन सेवा	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी)/टू टीयर अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस में वातानुकूलित कुर्सीयान।
2	**<u>वार्डेन सेवा</u>** 1. स्टाफ अधिकारी 2. डिवीजनल वार्डेन	रेल की द्वितीय श्रेणी (शयनयान)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	3. डिप्टी डिवीजनल वार्डेन 4. सेक्टर वार्डेन 5. संदेशवाहक	
3	**<u>हताहत सेवा</u>** 1. स्टाफ अधिकारी (हताहत सेवा) 2. डाक्टर 3. नर्स 4. फर्स्ट एडर 5. स्वीपर 6. ड्राइवर **<u>बचाव सेवा</u>** 1. स्टाफ अधिकारी (बचाव सेवा) 2. कम्यूनिकेशन सेवा 3. आफिसर इन्चार्ज मैप 4.लीडर रेस्क्यू पार्टी 5. ग्रुप लीडर 6. स्किल्ड व्यक्ति 7. अनस्किल्ड व्यक्ति 8. ड्राइवर **<u>कम्यूनिकेशन सेवा</u>** 1. प्लाटिंग क्लर्क/चार्ट 2. राइटर 3. टेलीबोर्ड क्लर्क 4. रिकार्ड क्लर्क 5. मैसेज सुपरवाइजर/टेलीफोनिस्ट 6. रिकोनाइन्स आफिसर 7. रडियो सुपरवाइजर 8. रेडियो आपरेटर **<u>डिपो एवं परिवहन सेवा</u>** 1. स्टोर क्लर्क 2. पोल क्लर्क 3. मेसिंग क्लर्क	
	<u>कल्याणकारी सेवा</u> 1. इन्क्वायरी आफिसर	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	2. एनाउन्सर 3. सुपरिटेन्डेन्ट रेस्ट सेन्टर 4. स्टोर क्लर्क 5. सुपरवाइजर मील सेन्टर	

3- नागरिक सुरक्षा विभाग के अवैतनिक कार्मिकों को दैनिक भत्ता उपरोक्तानुसार अनुमन्य यात्रा श्रेणीनुसार शासनादेश संख्या-जी-2-175/दस-2011-601/2011 दिनांक 31-03-2011 के प्रस्तर-3 में अंकित दरों के अनुसार अनुमन्य होगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-जी(2)745/10/18 दिनांक 14-11-2018 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

राजन शुक्ला
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी/नियंत्रक, जनपद-लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, कानपुर, चन्दौली एवं बुलन्दशहर।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जनपद-लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, कानपुर, चन्दौली एवं बुलन्दशहर।
4- समस्त उप नियंत्रक।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।